भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1511
09.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना

1511 **श्री दर्शन सिंह चौधरी:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, संचालित करने और अनुरक्षण करने के लिए पात्र संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता कितनी है, राजसहायता उपबंध क्या है और कुल बजटीय आवंटन कितना है;
(ग) ऐसे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए चयनित शहरों, कस्बों और राजमार्गों विशेषकर महानगरों, स्मार्ट शहरों, शहरों और राज्य की राजधानियों के नाम क्या है; और
(घ) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और अनुरक्षण के समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थापित तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश" जारी किए हैं, जो बैटरी स्वैपिंग/चार्जिंग स्टेशनों सहित कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा बताते हैं।

ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित करना एक बिना लाइसेंस वाली गतिविधि है और ईवी/ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनियों और निजी संस्थाओं सहित कोई भी संस्थान/इकाई पूरे भारत में ईवीसीएस स्थापित करने, संचालन और रखरखाव करने के लिए स्वतंत्र है।

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत पूरे भारत में शहरों और राजमार्गों सहित सार्वजनिक ईवीसीएस/चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) के लिए सब्सिडी निधि पाने और प्रस्ताव जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं भारत सरकार के मंत्रालय,

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई)/ भारत सरकार के मंत्रालयों के तहत स्वायत्त निकाय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और उनके पीएसयू हैं। ये संस्थाएं मांग इकट्ठा करने और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसियां नियुक्त करती हैं।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम स्थान की श्रेणी के आधार पर अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवीएसई (चार्जिंग इक्विपमेंट) के लिए पूंजीगत सब्सिडी देती है:

श्रेणी	स्थान	% सब्सिडी
क	राज्य/केंद्र सरकार के परिसर- सरकारी कार्यालय, सरकारी आवासीय कॉम्प्लेक्स, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी शैक्षिक संस्थान, सीपीएसई या कोई अन्य सरकारी प्रतिष्ठान। (ये चार्जर किसी भी निजी व्यक्ति को अपनी ईवी चार्ज करने के लिए बिना किसी रोक-टोक के मिलेंगे, यानी पब्लिक के लिए नि:शुल्क पहुँच)	अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100% और ईवीएसई पर 100%
ख	शहरों में और हाईवे के किनारे ऐसी जगहें जिनका मालिकाना हक/नियंत्रण/प्रबंधन राज्य/केंद्र सरकार या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास है, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट (जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया चलाती और रखरखाव करती है), सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी के रिटेल आउटलेट, एसटीयू के बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, म्युनिसिपल पार्किंग लॉट, सार्वजनिक क्षेत्र के पोर्ट और एनएचएआई/ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रिक/प्रबंधित किए जाने वाले टोल प्लाज़ा और हाईवे/एक्सप्रेसवे पर रास्ते के किनारे की सुविधाएँ।	अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80% और ईवीएसई पर 70%
ग	अन्य सभी जगहें जो कैटेगरी क और ख में शामिल नहीं हैं, जैसे शहर- सड़कें, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, हाईवे/एक्सप्रेसवे आदि।	अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80%
घ	कोई भी स्थान जहां पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस)/बैटरी चार्जिंग स्टेशन (बीसीएस) लगाए गए हैं	अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80%

अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवीएसई की लागत, विद्युत मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा दिए गए मानकों पर आधारित है।

(ग) और (घ) ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और रखरखाव समन्वय करने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बनाए गए तंत्र को भारी उद्योग मंत्रालय ने 26 सितंबर, 2025 को पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) की तैनाती के लिए प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश' में जारी किया है।

******